कार्यालय नगर परिषद् उदयपुर (राज.)

बैठक संख्याः—13

दिनांकः— 10.04.2012
वार :— मंगलवार
समयः— सुबह— 12.30 बजे

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण।

आज दिनांक 10.04.2012 प्रातः 12.30 बजे समिति की बैठक समिति अध्यक्षा श्रीमति रजनी डांगी की अध्यक्षता में आरंभ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः—

1. श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	उपसभापति एवं सदस्य
2. श्री फूल सिंह मीणा	सदस्य
. 3. श्री राजेश जैन	सदस्य
4. श्री महोम्मद खलील	सदस्य
5. श्रीमति अर्चना शर्मा	सदस्य
6. श्री मुस्लिम अली बंदुकवाला	सदस्य
7. श्री सत्यनारायण आचार्य	आयुक्त एवं सदस्य सचिव
8. श्री सर्मथ बाबेल	सहायक अभियंता
9. श्री चतर सिंह	सहायक अभियंता
10.. श्री करीमुद्धीन	सर्वेयर
11. श्री सिराजुद्धीन	सर्वेयर

सर्वप्रथम समिति अध्यक्षा श्रीमती रजनी डांगी द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया ओर दिनांक 06.03.2012 की बैठक संख्या 12 की पुष्टि की गई। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही एजेण्डा अनुसार आंरभ की गई।

अपराधों का शमन एवं समझौता समिति की बैठक में/नियमन/नामान्तरण /लीज डीड के संबंधी पत्रावलियों पर विचार विमर्श किया व समिति द्वारा बैठक से पूर्व स्थल निरीक्षण किये गये तथा मौके पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। परिषद के आयुक्त एवं सदस्य सचिव द्वारा नियमन, नामांनतरण, लीज डीड विचाराधिन पत्रावलियों को समिति के समक्ष रख कर विस्तृत जानकारी दी गई। समिति में उपनगर नियोजक व सहायक अभियंता एवं दोनो सर्वेयर उपस्थित थे जिनके साथ समिति के सदस्यों द्वारा भी मौका देखा जाने पर तकनीकी राय से भी अवगत कराया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समिति की बैठक हर माह के तीसरे गुरूवार को की जावे।निम्नलिखित पत्रावलियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः—

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
1.	23, गोकुल नगर क्षैत्रफल 3000′–0′′ वर्ग फीट	श्री किरणेश चपलोत पिता डा. जी. एल. चपलोत	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं नियमन हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्रकाशन की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री हनुमानदास पिता श्री सीताराम जी शर्मा के नाम पर है, प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी सेट बेक में किये निर्माण का नियमन चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा स्वीकृति विरूद्ध सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
2.	58, गेलडा कॉलोंनी	श्रीमति पेजी मेसी पति श्री दिलावर मेसी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं नियमन हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्रकाशन की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री श्याम सुंदर गेलडा पिता श्री शोभा लाल गेलडा के नाम पर है श्री श्याम सुंदर गेलडा से दिलवालर मेसी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया तथा दिलावर मेंसी की मृत्यु के पश्चात् वसीयत के आधार पर प्रार्थी उक्त भूखंड अपने नाम पर नामान्तरण करवाना चाहता है। प्रार्थी बिना स्वीकृति निर्माण एवं सेट बेक में किये गये निर्माण का नियमन करवाना चाहती है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा स्वीकृति विरूद्ध सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से तथा बिना स्वीकृति निर्माण की शास्ती लागत के 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
3.	50, शॉपिंग सेंटर, उदियापोल	श्रीमति राखी देवी एवं श्रीमति कमलेश	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण / नियमन एवं लीज डीड हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्रकाशन की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति सीता देवी परमार पति श्री फकीरचंद जी के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी सेट बेक में किये निर्माण एवं बिना स्वीकृति निर्माण का नियमन करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा स्वीकृति विरूद्ध बेसमेंट का जो निर्माण किया है। उसे लागत के 7.5 प्रतिशत से तथा निकासू का वाणिज्यिक आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
4.	137, ए, किशनपोल	श्री सैयद परवेज पिता मोईनुद्धीन	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण / नियमन एवं लीज डीड हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्रकाशन की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री मोहम्मद अमीन के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी सेट बेक में किये निर्माण का नियमन करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा स्वीकृति विरूद्ध सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
5.	364 हिरण मगरी से नं. 3, उदयपुर	श्री प्रवीण व्यास पिता भक्त वत्सल जी व्यास	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं नियमन हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्रकाशन की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री भक्त वत्सल जी व्यास के नाम पर है, प्रार्थीं ने उक्त भूखंड/भवन रजिस्टर्ड दान पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी सेट बेक में किये निर्माण का नियमन करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा जो रेडियस (गोलाई) में जो निर्माण कर रखा है। उसे अपने स्तर पर एक माह में हटाकर फोटो प्रस्तुत करे एक माह में फोटो प्रस्तुत नहीं करने पर परिषद् द्वारा अपने स्तर पर उक्त निर्माण को हटाया जावे तथा भूखंडधारी से निर्माण हटाने का शुल्क वसूल किया जावे।
6.	709, हिरण मगरी से नं. 3, उदयपुर	श्रीमति माला देवी पति राजमल जैन	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं नियमन हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्रकाशन की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति आरती ठाकुर के नाम पर है, प्रार्थीं ने उक्त भूखंड/भवन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी द्वारा संपूर्ण भवन बिना स्वीकृति के तथा सडक पर निकासु निकाल कर निर्माण कर रखा है। जिसका नियमन करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि पूर्व की भांति उक्त योजना के सम्बन्ध में वरिष्ठ नगर नियोजक से राय लेते हुए बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
7.	151, हिरण मगरी से नं. 4, उदयपुर	श्रीमति कमला, मनीष एवं अनीष बापना	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं नियमन हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्रकाशन की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री बोथ लाल बापना के नाम पर है, प्रार्थी उक्त भूखंड/भवन बोथ लाल जी की मृत्यु के पश्चात् वारीसान की हेसीयत से अपने नाम पर करवाना चाहते है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण का नियमन चाहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति सेट बेक में किये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
8.	647, हिरण मगरी से नं. 13, उदयपुर	श्री मनीष कुमार एवं श्रीमति संतोष कुंवर	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं नियमन हेतू आवेदन किया है।आपत्ति प्रकाशन की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति आशा मेहता पति श्री धनरूप जी मल जी मेहता के नाम पर है, प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी द्वारा भू पट्टी पर भूतल + एक दो मंजिल निर्माण होना पाया जो बिना स्वीकृति के है – तलघर बना होना पाया वह भी बिना स्वीकृति के है एवं साईड में पोर्च जिसका आंशिक भाग नियमन किया गया है बकाया शेष भाग अनाधिकृत बना होना पाया गया एवं सामने सेट बेक में भूतल एवं प्रथम तल में हॉल बना हुआ पाया गया है। जिसकी स्वीकृति का हवाला भी पत्रावली में संलग्न नहीं है। अतः अनाधिकृत निर्माण का नियमन करवाना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि उक्त स्थल पर पूर्व में नगर न्यास उदयपुर द्वारा आंशिक विचलन का नियमन किया गया था। किंतु मौके पर विवरण अनुसार अनाधिकृत निर्माण पुनः होना पाये जाने से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को निरस्त करते हुए अतिक्रमण शाखा में भिजवाया जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
9.	47, डोरेनगर, उदयपुर	श्री राजेन्द्र मण्डोवरा पिता मदन लाल मण्डोवरा	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं नियमन हेतू आवेदन किया है।आपत्ति प्रकाशन की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री अब्दुल सतार पिता कादर बख्श जी को पावर हाऊस कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी समिति लि. के द्वारा दिया गया था, प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्राप्त किया है। मौके पर भूतल + प्रथम तल स्ट्रक्चर निर्माण कर रखा है। जिसमे सामने के सेट बेक को कवर करते हुए बाउण्ड्री वाल के स्थान पर तीन पिल्लर खडे कर नाल एवं आर सी सी छत का निर्माण किया है तथा तीनों ओर सेट बेक में भी विचलन किया गया है। उक्त स्थल ले आऊट प्लान में उक्त भूखंड के सेट बेक सामने से 12′–0″ व बकाया तीनों तरफ 7′–0″ – 7′–0″ छोडने का प्रावधान दर्शाया गया है। जबकि मौके पर उक्त सेट बेक का विचलन होना पाया गया। उक्त स्थल का बिना निर्माण स्वीकृति के सेट बेक का विचलन करते हुए भूतल + प्रथम तल निर्माण होने से उक्त स्थल को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194(7) (एफ) के तहत संपूर्ण परिसर को अभिग्रहित किया गया। प्रार्थी उक्त निर्माण का नियमन कराते हुए अभिग्रहण से मुक्त करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर विवरण अनुसार निर्माण होना पाया गया एवं भवन अभिग्रहीत होना भी पाया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त स्थल पर किये गये संपूर्ण अनाधिकृत निर्माण को नियमन कराना एवं अभिग्रहित मुक्त करवाने हेतू प्रस्तुत किया गया है। जिसका अवलोकन किया जाकर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गाय कि मौके की स्थिति को देखते हुए सर्वप्रथम सामने के सेट बेक में किये गये निर्माण जिसमें बाउण्ड्री वाल पर बने तीन पिल्लर एवं आर सी सी नाल व छत जो कि सामने के सेट बेक 12′–0″ क्षैत्र में किये गये निर्माण को नगर परिषद् की अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में सात दिवस में स्वयं के खर्चे पर हटाया जावे। तत्पश्चात् आगामी बैठक में निर्णयार्थ रखी जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
10.	282, हिरण मगरी से नं. 11, उदयपुर	श्री विनोद, अशोक, अनिल अग्रवाल	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं नियमन हेतू आवेदन किया है।आपत्ति प्रकाशन की गई कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री शिव कुमार अग्रवाल के नाम पर है, प्रार्थी उक्त भूखंड/भवन प्रार्थी द्वारा उक्त भूखंड वसीयत से प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण का नियमन चाहा है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती आरक्षित दर से एवं भवन रेखा के मध्य किये गये निर्माण की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से वसूल करते हुए नियमन किया जावे।
11.	64, बी हाथीपोल योजना, उदयपुर	श्री गणपत लाल कोठारी	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री मनसुर अली पिता श्री जीवा जी बोहरा के नाम पर है, प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन विक्रय विलेख से प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के भूतल में दुकान मय हुड के निर्माण किया। जिसकी शास्ती लागत की 7.5 प्रतिशत से वसूल होगी एवं निकासु राशि वसूल करते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
12.	60, पंचवटी, उदयपुर	श्री कैलाश कर्णावट,कृष्ण कांत कर्णावट	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री वासुदेव पिता श्री जेठानंद, श्री प्रितम लाल, श्री जुगल किशोर पिता श्री वासुदेव के नाम पर है, प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन अंतिम इच्छा पत्र से प्राप्त किया है। प्रार्थी के भूखंड का सबडिविजन प्रार्थी द्वारा ही किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक छोडकर भूतल एवं प्रथम तल में जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे एवं भूतल एवं प्रथम तल में जो सेट बेक में निर्माण किया उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावे।
13.	185,186 प्रतापनगर, उदयपुर	श्री रघुनाथ सिंह चौहान	प्रार्थी ने उक्त भूखंड/भवन के नामान्तरण एवं सयुंक्तीकरण हेतू आवेदन किया है। आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में परिषद् रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्री विनोद चितौडा पिता श्री शांति लाल एवं घनश्याम प्रजापत पिता श्री रामनारायण के नाम पर है, प्रार्थीयों ने उक्त भूखंड/भवन विक्रय विलेख से प्राप्त किया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने दो भूखंडो को संयुक्त करते हुए साईड के संपूर्ण सेट बेक में निर्माण कर लिया गया है एवं पीछे के सेट बेक में भी निकासु आदि बनाकर निर्माण किया गया है एवं फ्रन्ट सेट बेक को संपूर्ण भाग में निर्माण किया हुआ है। अतः फ्रन्ट सेट बेक में किये गये निर्माण को हटाकर फोटो प्रस्तुत करे।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
14.	1, सुरजपोल, देहलीगेट, उदयपुर	श्री पवन कुमार, विनोद कुमार, श्रीमति संतोष देवी एवं श्रीमति सुनीता	प्रार्थी ने उक्त भू – खण्ड के नामान्तरण हेतू आवेदन किया है आपति आमंत्रण की गई। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान में परिषद रिकार्ड के अनुसार उक्त भूखंड श्रीमति शांता देवी मुंदडा के नाम पर है प्रार्थी ने उक्त भूखंड विक्रय विलेख से प्राप्त किया है। मौके पर प्रार्थ ने बरामदे को दुकानों मं शामिल कर रखा है। आस पास की दुकानों का सर्वे करवाकर पत्रावली में संलग्न है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी शटर हटाकर फोटो प्रस्तुत करे। तत्पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक मे रखा जावे।
15.	भ.अ / 144 / 11–12 प्लाट नं. 76, अशोकनगर, उदयपुर	श्री हरिहर दवे पिता गोरी शंकर देवी	मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध पश्चिमी, दक्षिणी कोने में सेट बेक में लेट बॉथ बना रखा है। जिसे प्रार्थी नियमन करवाना चाहता है एवं प्रथम तल सेट बेक छोडकर आवसीय भवन निर्माण की स्वीकृति चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में जो लेट बाथ बना रखी है। उसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जाकर किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
16.	भ.अ / 183 / 08—09 25 ए, न्यू सी, फतेहपुरा, उदयपुर	श्री अब्बास अली पिता स्व. श्री सैफुद्दीन	मौके पर प्रार्थी ने बिना स्वीकृति के सेट बेक को शामिल मिलाते हुए बेसमेंट एवं स्टील्ड पार्किंग भूतल में हॉल एवं प्रथम,द्वितिय,तृतीय, चतुर्थ एवं पांचवी मंजिल का निर्माण सेट बेक को शामिल मिलाते हुए किया गया है। पुरा भवन बिना स्वीकृति के बनाया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने संपूर्ण भवन को बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। प्रार्थी के सामने का सेट बेक 40′—0″ (योजनानुसार) एवं तीनों तरफ 15′—0″ — 15′—0″ सेट बेक का प्रावधान है। प्रार्थी ने सेट बेक में बेसमेंट, स्टील्ड एवं भूतल + पाँच मंजिल तक निर्माण किया है। जिसकी शास्ती आरक्षित दर से ली जावें एवं सेट बेक छोडकर बीच के भाग की शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से ली जावे। एफ एस आई 1. 33 से 2.25 तक की एफ एस आई का बेटरमेंट लेवी 100 / — प्रति वर्ग फीट से ली जावे। उसके अतिरिक्त एफ एस आई की शास्ती आरक्षित दर से ली जावे। पार्किंग की कमी की राशि 50000 / — रूपये प्रति ई .सी.यू से ली जावे। भवन का उपयोग आवासीय ही करने का शपथ पत्र भी लिया जावे।
17.	भ.अ / 251 / 09—10 690, जैन बोर्डिंग मार्ग, धानमंडी, उदयपुर	श्री निरंजन कुमार पिता पुरूषोत्तम साहू	मौके पर भूतल + तीन मंजिल भवन मय निकासू रचना बना हुआ है। परिषद् द्वारा पूर्व में भ.अ / 251 / 09—10 के तहत भूतल + प्रथम तल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति सर्वेले अनुसार निकासू रोस रखते हुए दी गई थी। परिषद् द्वारा भू उपयोग परिवर्तन / 13 / 10—11 दिनांक 14.7.11 के तहत संपूर्ण क्षेत्र का भू उपयोग परिवर्तन आवासीय से वाणिज्यिक में परिवर्तित किया गया है। मौके पर भूतल में शटर लगे हुए है तथा मय निकासु रचना के तीन मंजिल बना हुआ है। जिसमें पूर्व स्वीकृति के अलावा सेकण्ड व थर्ड फ्लोर अतिरिक्त बना हुआ पाया गया जिसे प्रार्थी नियमन करवाना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया कि मौका देखकर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
18.	भ.अ / 55 / 11–12 प्लाट संख्या 992, ज्ञान नगर, हिरण मगरी से नं. 4, उदयपुर	श्रीमति शीला कोठारी पति मांगी लाल कोठारी	मौके पर पूर्व भवन निर्माण स्वीकृति / किये गये निर्माण के अतिरिक्त साईड सेट बेक में बाउण्ड्री वाल पर दो पिल्लर बना पोर्च बनाया। प्रार्थी जिसका नियमन करवाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में पुनः मौका देखा जाकर आगामी बैठक में रखा जावे।
19.	भ.अ / 235 / 08–09 धोंली बावडी, उदयपुर	सचिव मस्जिद व मदरसा मसदरे इस्लाम	मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध मौके पर दुकानों का निर्माण कर लिया गया है एवं पुरा निर्माण ही स्वीकृति के विरूद्ध किया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध दुकानों का निर्माण कर लिया गया है,अतः दुकाने हटाकर फोटो प्रस्तुत करे।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
20.	भ.अ / 188 / 11–12 1381, हिरण मगरी से नं. 5, उदयपुर	श्रीमति रंजना व्यास पति श्री प्रितम दास व्यास	मौके पर भूतल निर्माण किया हुआ है जो कि पत्रावली अनुसार बिना निर्माण स्वीकृति के निर्माण होना पाया क्योंकि पूर्व में दी गई स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के बाद एवं भूखंड विक्रय किये जाने एवं बाद में मकान का निर्माण कर विक्रय किये जाने से निर्माण बिना स्वीकृति का होना पाया गया। साईड सेट बेक 5′–0′′ के बजाय 4′–0′′, 2′–6′′ ही छोडा गया है। जिसका नियमन कराना चाहते है। पीछे सिढियों का नियमन पूर्व में नगर विकास प्रन्यास द्वारा होना पाया गया।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि भवन रेखा के मध्य किये गये निर्माण की शास्ती राशि लागत की 5 प्रतिशत एवं साईड व पीछे सेट बेक में किये गये निर्माण की शास्ती राशि आरक्षित दर से वसूल करते हुए नियमन किया जाता है।
21.	भ.अ / 243 / 06–07 60 बी, किशनपोल चौराहा, उदयपुर	श्री गुलाम आमिद खां एवं गुलाम हामिद खा पिता गुलाम मोहम्मद खां	मौके पर उक्त स्थल पर पीछे की ओर एवं साईड सेट बेक में निर्माण किया हुआ है एवं मौके पर भूतल + दो मंजिल मय निकासू रचना के निर्माण होना पाया गया है। मौके पर वाणिज्यिक गतिविधियां भी चल रही है। प्रार्थी उक्त प्रकरण को नियमन करवाना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि मौके पर व्यवसायिक गतिविधियां चल रहीं है अतः प्रार्थी को व्यवसायिक गतिविधियां बंद करने हेतू लिखा जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
22.	भ.अ / 21 / 11–12 भोईवाडा, सिमेंट गली, उदयपुर	श्री इन्द्र लाल खलुडिया पिता स्व. श्री माणक चन्द एवं श्रीमति हेमलता देवी पति श्री इन्द्र लाल खलुडिया	प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा दिनांक 7.6.2011 को भूतल + दो मंजिल बिना निकासू के आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध मौके पर भूतल + चार मंजिल मय निकासु के भवन बनाया गया है। सामने की तरफ मात्र 14'–0'' चौडी सडक स्थित है। स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण नगर परिषद् द्वारा सीज किया हुआ है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी के प्रकरण पर वरिष्ठ नगर नियोजक विभाग से राय ली जावे।
23.	भ.अ / 168 / 11–12 बोहरा गणेश रोड– धूलकोट उदयपुर	प्रिंसिपल संततरेसा आश्रम गर्ल्स सिनियर सैकण्ड्री स्कूल,, सिस्टर – जसवीन	मौका देखा मौके पर प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण किया गया है। प्रार्थी किये गये स्वीकृति विरूद्ध निर्माण को नियमन कराना चाहते है। प्रार्थी नक्शें अनुसार कुछ क्षेत्र में भूतल + तीन मंजिल भवन बनाना चाहता है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो बैंक भवन का निर्माण किया गया है जो कि सेट बेक क्षैत्र में होने से शास्ती आरक्षित दर से ली जावे एवं बाकी क्षैत्र में प्रार्थी ने पूर्व स्वीकृति के विरूद्ध निर्माण कर रखा है उसकी शास्ती लागत की 5 प्रतिशत से लेते हुए किये गये निर्माण को नियमन किया जाता है।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
24.	भ.अ / 238 / 09–10 प्लाट नं. 7, माछला मगरा स्कीम, उदयपुर	श्री अयुब खान पिता शमसुद्दीन जी	मौके पर टाईप डिजाईन के विरूद्ध निर्माण किया हुआ है। जिसका नियमन करवाना चाहते है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि योजना की टाईप डिजाईन के विरूद्ध किये गये निर्माण के सम्बन्ध में एवं टाईप डिजाईन को परिवर्तित करने के लिए प्रकरण को बोर्ड मिटिंग में रखा जाने का निर्णय लिया गया।
25.	भ.अ / 342 / 06–07 32,1105, गुलाब भवन, बी एन कॉलेज के सामने, उदयपुर	श्री राजेन्द्र कुमार पिता स्व. दलपत सिंह जी, सुरेन्द्र कुमार पिता दलपत सिंह जी एवं श्रीमति सुशीला देवी पति दलपत सिंह जी सरूपरिया	मौका देखा मौके पर बेसमेंट में पार्किंग बनाई गई एवं भूतल + चार मंजिल तक वाणिज्यिक भवन बनाया गया एवं स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में निकासु बंद बनाया गया एवं थर्ड फ्लोर एवं फोर्थ फ्लोर के पीछे के भाग में निर्माण किया गया। प्रार्थी को पूर्व में नगर परिषद् द्वारा नियमानुसार सेट बेक छोडते हुए दिनांक 24.4.2006 को बेसमेंट पार्किंग, भूतल, प्रथम तल एवं द्वितिय तल वाणिज्यिक भवन व तृतीय एवं चतुर्थ तल आधे आधे भाग में वाणिज्यिक स्वीकृति दी गई थी।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी ने जो सामने के सेट बेक में सिढियां बना रखी है। जिससे पार्किंग अवरूद्ध हो रहा है। उन सिढियों को हटाकर फोटो प्रस्तुत करे। उसके पश्चात् आगामी बैठक में प्रकरण रखा जावे।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
26.	भ.अ / 152 / 06–07 1–2, सुरानों की सेहरी, उदयपुर	श्रीमति चन्द्रा देवी पति श्री शांति लाल चेलावत एवं श्रीमति संगीता सुराना पति श्री रविन्द्र सुराना	मौके पर भूतल + दो मंजिल भवन मय निकासु के बना हुआ है। प्रार्थी को पूर्व में परिषद् द्वारा भूतल में वाणिज्यिक एवं प्रथम तल आवासीय जिसमें रास्ते की ओर 10′–0′′ भू पट्टी छुडवाते हुए स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया था। भू उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा भूतल + 2 मंजिल तक जो रास्ते की ओर भू पट्टी छुडवाई गई थी उसका नियमन किया था। परंतु पट्टी के अलावा द्वितिय तल में बीच के क्षैत्र का नियमन नहीं किया गया है। जिस बाबत दिनांक 10. 9.2009 को भवन अनुमति समिति में प्रकरण रखा गया था। जिसमें निर्णय लिया गया था किय प्रार्थी ने सेकण्ड फ्लोर पर छुडाई गई पट्टी को छोडते हुए बीच के क्षैत्र पर जो निर्माण किया उसकी शास्ती लागत की 7.5 प्रतिशत से लेने एवं निकासु राशि एवं पार्किंग की कमी की राशि वसूल करते हुए नियमन करने का निर्णय लिया गया था एवं प्रशासनिक समिति से अनुमोदन होने के बाद नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया था। नियमन की राशि जमा नहीं हुई है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में भवन अनुमति समिति द्वारा दिनांक 10.9.2009 को नियमन करने का निर्णय लिया गया था। उसी निर्णयनुसार प्रार्थी के नियमन करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
27.	भ.अ / 61 / 09–10 1, 1 ई, 1 एफ, अशोक नगर	श्री राजेन्द्र कुमार, प्रभु लाल, मोहन लाल, एवं दाखी बाई कुम्हार	प्रार्थी को दिनांक 5.8.2008 को भूखंड संख्या 1, 1 ई, 1 एफ पर अलग – अलग स्वीकृतियां जारी की गई थी। प्रार्थी ने स्वीकृति के विरूद्ध सेट बेक में निर्माण किया एवं तीनों भूखंडों को शामिल मिला लिया गया जिस पर प्रार्थी ने नियमन हेतू पत्रावली लगाई गई जिस पर प्रार्थी के प्ररकण को भवन अनुमति समिति की बैठक दिनांक 24.7.09 में रखा गया एवं समिति द्वारा नियमन करने का निर्णय लिया गया एवं प्रशासनिक समिति में अनुमोदन हेतू लिखा गया एवं प्रार्थी को 22,26,262 / – रूपये का नोटिस भी दिया गया परंतु प्रार्थी के पडोसी श्री भोला राम की बार बार उजरदारी प्रस्तुत हो रही थी जिसे सूनवाई हेतू बुलाया गया था एवं सुनवाई की गई थी। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में राशि बाबत वाद दायर कर दिया गया है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी का प्रकरण न्यायालय में विचाराधिन है। अतः न्यायालय के निर्णय होने तक पत्रावली को लंबित रखा जावे।
28.	भ.अ / 215 / 11–12 1 / 16, मालदास स्ट्रीट,उदयपुर	श्री नयन चन्द लोढा पिता श्री प्यारचंद जी	मौका देखा मौके पर भूतल + दो मंजिल स्ट्रक्चर निर्माण किया जाकर बंद होकर नगर परिषद् द्वारा सील किया हुआ है। मकान का क्षैत्रफल 1395 वर्ग फीट तथा सामने रास्ता 14′–9′′ से 16′–3′′ तक चौडा है। सडक की ओर निकासु रचना 2′–3′′ तक बना रखी है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सममिति से निर्णय लिया गया कि झील संरक्षण क्षैत्र का पुनः परीक्षण कर स्पष्ट रिपोर्ट के साथ आगामी बैठक में रखे।

क्रम संख्या	फाईल नं. पता	नाम	विवरण	समिति निर्णय
29.99	भ.अ/167/08–09 2, सुरजपोल मठ, उदयपुर	श्री सुरेश पालीवाल एवं राजेन्द्र पालीवाल	प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शें प्रस्तुत किये जिसमें भूतल में दुकान टॉयलेट व नाल तथा मेजनाईन फ्लोर कमरा तथा फस्ट और सेकण्ड फ्लोर में कमरा दर्शाया गया।पूर्व में भवन अनुमति समिति द्वारा भूतल में 10×7 = 70 वर्ग फीट में दुकान बकाया आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति भूतल + एक मंजिल मय 1'–6'' निकासु के दी गई थी। किंतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित नक्शें अनुसार निर्माण कर नियमन बाबत प्रार्थना प्रस्तुत की है।	प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तथा पत्रावली का अवलोकन किया उपस्थित समस्त अधिकारियों कार्मिकों से चर्चा की तथा बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूतल में पूरे क्षैत्र में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है। अतः प्रार्थी को भूखंड का भू उपयोग परिवर्तन कराने हेतू सूचित करे।

उक्त प्रकरणों में मांग की जाने वाली नियमन राशि इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र जारी होने के 15 दिन में अनिवार्यतः जमा करानी होगी। अन्यथा प्रकरण निरस्त योग्य होंगे। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं कराने वाले प्रकरणों को निर्णयार्थ आगामी समझौता समिति में रखा जावेगा।

आयुक्त
नगर परिषद, उदयपुर

अध्यक्ष
अपराधो का शमन एवं समझौता समिति

कमांकः– नपउ/भ.वि/12–13/

दिनांकः–

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय विभाग , राज. जयपुर ।
2. श्रीमान् उप निदेशक महोदय, (क्षैत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग , राज. उदयपुर ।
3. श्रीमेान् जिला कलक्टर, उदयुपर।
4. श्रीमान् सभापति /समिति अध्यक्ष महोदय, नगर परिषद्, उदयपुर।
5. श्री/श्रीमति...समिति सदस्य।
6. सचिव नगर परिषद्, उदयपुर।
7. उप नगर नियोजक, नगर परिषद्, उदयपुर।
8. ....शाखा प्रभारी।
9. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद्, उदयपुर।

आयुक्त
नगर परिषद्, उदयपुर